



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11072022-237234
CG-RJ-E-11072022-237234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3014]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944

No. 3014]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेल्वे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3170(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंडों, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में “तरंगा हिल – अंबाजी-आबू रोड नई बड़ी रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना” के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप खंड अधिकारी, आबूरोड	आबूरोड	सिरोही

[फा. सं. उ.प.रे./मु./एसएण्डसी 443599200 भाग-11]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 6th July, 2022

S.O. 3170(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway project of “ Taranga hill-Ambaji-Abu Road New BG Line Project ” new Railway line in the state of Rajasthan relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in Column (4) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr.No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Officer, Abu Road	Abu Road	Sirohi

[F. NO. NWR/HQ/S&C/443599200Vol. 1I]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Const.